नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी

बाधक नहीं बनेगी डिसेबिलिटी

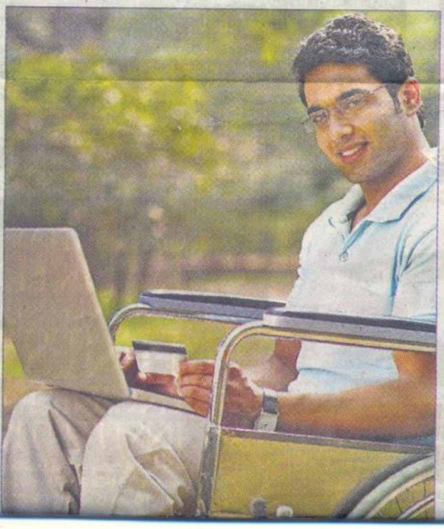

आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2013

मेहनत के साथ आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले डिसेबल बच्चों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी उपलब्ध है। यह स्कॉलरशिप दसवीं-बारहवीं के बाद तकनीकी व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिएं दी जाती है।

आवश्यक योग्यता

इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता के रूप में आवेदक छात्र को भारतीय होने और कम से कम 40 फीसदी तक डिसेबल श्रेणी में होना चाहिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप पाने वाले छात्र के परिवार की सालाना आय एक लाख अस्सी हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अध्ययन, जिनके लिए मिलेगी राहत

स्कॉलरशिप दसवीं-बारहवीं के बाद तकनीकी व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की जाती है। इन पाठ्यक्रमों के तहत पीएचडी, एमफिल भी शामिल हैं, बशर्ते वे किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से की जा रही हों। यह स्कॉलरशिप एक छात्र को एक पाठ्यक्रम के लिए प्रदान की जाती है। स्कॉलरशिप को बरकरार रखने के लिए छात्रों के प्रदर्शन को महत्व दिया जाता है। एक साल से कम समय के तकनीकी व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए यह स्कॉलरशिप नहीं दी जाती।

स्कॉलरशिप अवॉर्ड की संख्या व सहायता राशि

इस स्कॉलरशिप के तहत 250 लड़कियों व 250 लड़कों को चुना जाएगा। इसमें पीएचडी/ एमफिल/ पोस्ट ग्रेजुएट व ग्रेजुएट लेवल के इंजीनियरिंग/ मेडिसिन/ एग्रीकल्चर/ वेटरनरी/ आईटी/ बायोटेक्नोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट/ आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी, म्यूजिक और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए होस्टल में रहने वाले छात्रों को एक हजार रुपये मासिक और बिना होस्टल वाले छात्रों को 700 रुपये मासिक सहायता राशि मिलती है। डिप्लोमा व सर्टिफिकेट स्तर के प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए होस्टल में रहने वाले छात्रों को 700 रुपये मासिक और बिना होस्टल वाले छात्रों को 400 रुपये मासिक प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा छात्रों की कोर्स फीस के लिए भी सहायता राशि का इंतजाम है।

आवेदन प्रक्रिया

स्कॉलरशिप पाने के इच्छुक छात्रों को ऑनलाइन व ऑफलाइन, दोनों ही माध्यमों से आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक के लिए ऑफलाइन फॉर्म भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ 31 अगस्त, 2013 से पहले नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कार्यालय को भेजना जरूरी है। आवेदन के साथ-साथ एकेडमिक रिकॉर्ड से जुड़ी मार्कशीट की सत्यापित कॉपी, पारिवारिक आमदनी से जुड़ा प्रमाण, विकलांग प्रमाण पत्र, कोर्स की फीस से जुड़ी रसीद की कॉपी और होस्टल सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए लॉगऑन करें-www.nhfdc.nic.in

ऑफलाइन आवेदन के लिए

नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड
डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड
एम्पावरमेंट, भारत सरकार),
रेड क्रॉस भवन, सेक्टर-12,
फरीदाबाद-121007, हरियाणा।

अधिक जानकारी के लिए लॉगऑन करें : www.socialjustice.nic.in

पायल रावत

हिन्दुस्तान - 17/7/13